"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जून 2020 — आषाढ़ 3, शक 1942

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–19/2015/12.— खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. **नियम 4 में, उप–नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–**

"**(8)** अनुज्ञापत्रधारी, खनिजों के भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग से प्राप्त खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों का अन्यत्र विक्रय/परिवहन हेतु रायल्टी पेड अभिवहन पारपत्र (प्ररुप–10) प्राप्त करने हेतु प्ररुप–2(अ) में आवेदन प्रस्तुत करेगा:

परन्तु स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, ऐसे एण्ड यूज संयंत्र, जिनके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र प्राप्त नही किया गया है, के द्वारा नॉन केप्टिव खदानों से प्राप्त खनिजों का प्रसंस्करण/उपयोग से निकले अनुपयोगी/फाईन्स को अन्यत्र विक्रय/परिवहन हेतु नियम 7(3)(तीन) में रूपये 5000/– शुल्क के साथ रायल्टी पेड अभिवहन पारपत्र (प्रारुप–10) प्राप्त करने हेतु प्ररुप–2(अ) में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अनुमति प्रदान कर सकेगा।"

2. **नियम 7 में, उप–नियम (3) में, खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–**

"**(तीन)** आवेदन शुल्क, शासकीय कोषालय में राजस्व प्राप्त शीर्ष :–

मुख्य शीर्ष 0853 – अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

लघु शीर्ष (800) – अन्य प्राप्तियां

(0229) – विविध प्राप्तियां

में जमा किया जायेगा तथा मूल कोष रसीदी चालान, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।"

3. **नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–**

"7अ. अनुज्ञापत्र का निष्पादन नब्बे दिवस में किया जाना.–

"(एक) जहां अनुज्ञापत्र प्रदान या नवीनीकृत किया जाता है, वहां अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के आदेश से 90 दिवस के भीतर प्ररूप–21 में अनुज्ञापत्र विलेख निष्पादित किया जायेगा और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) के अधीन अनुज्ञा पत्र विलेख का पंजीयन किया जायेगा। यदि उक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जायेगा और संदत्त आवेदन शुल्क राज्य शासन को समपहृत हो जाएगा:

परन्तु इन संशोधनों के प्रभावशील होने के पूर्व से स्वीकृत अनुज्ञापत्रों को छः माह के भीतर शेष अवधि के लिए, इस नियम के अन्तर्गत प्ररुप–21 में अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाना होगा।

(दो) जहां नियत अवधि के भीतर अनुज्ञा पत्र विलेख निष्पादित करने में अनुज्ञप्तिधारी अक्षम है वहां वह कारणों का उल्लेख करते हुए, उक्त कालावधि के अवसान के पूर्व संचालक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(तीन) उप–नियम (दो) के अधीन प्रत्येक आवेदन, रूपये पांच सौ के गैर वापसी योग्य शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(चार) उप नियम (दो) के अधीन किये गये आवेदन की प्राप्ति पर, विलेख निष्पादन नहीं करने के कारणों से पर्याप्तता और यथार्थता के बारे में समाधान हो जाने पर, संचालक द्वारा विलेख के निष्पादन की अवधि में वृद्धि हेतु युक्तियुक्त आदेश पारित किया जा सकेगा।"

4. **नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–**

"12. अनुज्ञापत्र स्वीकृत/नवीनीकृत किये जाने के लिये अधिकतम कालावधि, दस वर्ष से कम नही होगी।"

परन्तु यह कि गौण खनिज (साधारण रेत) के मामले में, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुये, दस वर्ष से कम कालावधि के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत कर सकेगा।"

5. **नियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–**

"13क. अनुज्ञापत्र का अंतरण.–

(1) कोई भी अनुज्ञापत्रधारी अनुज्ञापत्र का किसी अन्य व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अंतरण नही करेगा:

परन्तु यह कि नियम 7 के उप–नियम (3) के खण्ड (तीन) में विहित रीति के अनुसार एक लाख रूपये का भुगतान करने पर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी अनुज्ञाधारी को अंतरण की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) अंतरण के आदेश के 90 दिवस के भीतर अनुज्ञापत्र के अंतरिती द्वारा प्ररूप–22 में अनुज्ञापत्र विलेख निष्पादित किया जायेगा और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) के अधीन सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा। यदि उक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने वाला आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जायेगा और संदत्त आवेदन शुल्क राज्य शासन को समपहृत हो जाएगा।

(3) जहां नियत तिथि के भीतर अनुज्ञापत्र विलेख निष्पादित करने में अनुज्ञप्तिधारी अक्षम है वहां वह कारणों का उल्लेख करते हुए, उक्त कालावधि के अवसान के पूर्व संचालक को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) उप–नियम (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन, रूपये पांच सौ के गैर वापसी योग्य शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) उप–नियम (3) के अधीन किये गये आवेदन की प्राप्ति पर, विलेख निष्पादन नहीं करने के कारणों से पर्याप्तता और यथार्थता के बारे में समाधान हो जाने पर, संचालक द्वारा विलेख के निष्पादन की अवधि में वृद्धि हेतु आदेश पारित किया जा सकेगा।

(6) अन्तरिती के द्वारा नियम 11 के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप जमा की जायेगी:

परन्तु अन्तरिती के द्वारा प्रतिभूति निक्षेप जमा किये जाने के उपरान्त, अन्तरक के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किया गया प्रतिभूति निक्षेप को वापिस किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी भी स्थिति में केवल प्रतिभूति निक्षेप ही वापसी योग्य होगी।"

13 ख अनुज्ञापत्र पर्यवसित करने का अधिकारः–

(1) अनुज्ञापत्रधारी शासन को देय समस्त शोध्यों का भुगतान कर किसी भी समय स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञापत्र पर्यवसित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) अनुज्ञापत्र की शर्तो के पालन संबंध में समाधान होने पर, और शासन को सभी देयकों के भुगतान के पश्चात्, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र पर्यवसित की कार्यवाही की जा सकेगी।"

6. नियम 14 में,–

(क) खण्ड (दो–क) में, पूर्णविराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) खण्ड (दो–क) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी नियत समयावधि में मासिक पत्रक प्रस्तुत किये जाने मे विफल रहता है तो उक्त जानकारी विहित प्ररूप में प्रस्तुत करने तक, पांच सौ रूपये प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिये शास्ति अधिरोपित की जायेगी।"

7. **नियम 14 में, खण्ड (नौ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् –**

"(दस) राज्य शासन द्वारा विशेष परिस्थितियों में दिये छूट के अलावा समस्त मुख्य खनिजों के अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृत क्षेत्र में तौल मशीन की स्थापना करेगा तथा खनिज एवं उसके उत्पादों के आवक जावक का सम्पूर्ण लेखा रखेगा।

(ग्यारह) इन नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, जहां अनुज्ञापत्र विलेख के निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग संक्रियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं या ऐसी संक्रियाओं के ऐसे प्रारंभ करने के पश्चात् लगातार बारह माह की कालावधि के लिए बंद कर दी जाती है वहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी आदेश द्वारा अनुज्ञापत्र व्यपगत हो गया घोषित कर सकेगा तथा इस घोषणा की संसूचना अनुज्ञापत्रधारी को देगा ।

(बारह) जहां अनुज्ञापत्रधारी उसके नियंत्रण के बाहर के कारणों से एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग संक्रियाएं प्रारंभ करने में असमर्थ रहता है या ऐसी संक्रियाओं के ऐसे प्रारंभ करने के पश्चात् किसी कैलेण्डर वर्ष में लगातार बारह माह की कालावधि के लिए बंद कर दी जाती है, तो वह ऐसी कालावधि की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिन पूर्व स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को ऐसे कारण स्पष्ट करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(तेरह) उप–नियम (12) के अधीन प्रत्येक आवेदन के संबंध में रुपये पांच हजार गैर वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क की राशि नियम 7 के उप–नियम (3) (तीन) में विहित आगम मद में शासकीय कोषालय में जमा की जायेगी।

(चौदह) अनुज्ञापत्र स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, उप–नियम (12) के अधीन किया गया आवेदन प्राप्त होने पर भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग संक्रियाएं प्रारंभ न करने या उसके बंद करने के संबंध में कारण की पर्याप्तता और यथार्थता के बारे में संतुष्ट होने पर, उस तारीख के पूर्व, जिस पर की, अनुज्ञापत्र अन्यथा व्यपगत हो जाता, अनुज्ञापत्र की कालावधि बढ़ाने या कालावधि बढ़ाने से इंकार करने बाबत् आदेश पारित कर सकेगाः

परन्तु यह कि जहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, उप–नियम (12) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उस तारीख के पूर्व, जिस पर कि अनुज्ञापत्र अन्यथा व्यपगत हो गया होता, कोई आदेश पारित नहीं करता है वहां अनुज्ञापत्र की कालावधि संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने तक या एक वर्ष की कालावधि के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाई गई समझी जाएगी ।

(पन्द्रह) जहां भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग संक्रियाएं प्रारंभ न करने का कारण,–

(एक) सतह अधिकारों को अर्जन में, या

(दो) अनुज्ञापत्र–क्षेत्र का कब्जा प्राप्त करने में, या

(तीन) मशीनों के प्रदाय या उनकी स्थापना में, या

(चार) बैंकों या किसी वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त होने में,

विलंब हो और अनुज्ञापत्रधारी, भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग संक्रिया प्रारंभ न करने के पर्याप्त कारण दर्शाते हुये सम्यक् रूप से निष्पादित शपथपत्र के द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में, सफल हो जाता है वहां स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी, ऐसे घोषणा/आदेश, जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र व्यपगत हो गया है, को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(सोलह) अनुज्ञापत्रधारी को ऐसी जानकारी यथा अनुज्ञापत्रधारी फर्म/व्यक्ति का नाम, स्वीकृत क्षेत्र का विवरण, खनिज का नाम एवं मात्रा की जानकारी, अनुज्ञापत्र की अवधि आदि सूचना पटल में अनुज्ञापत्र क्षेत्र के सम्मुख प्रदर्शित करना होगा।"

8. नियम 17 में, शब्द "मुख्य खनिज" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "खनिज" प्रतिस्थापित किया जाये।

9. प्ररुप–2 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"प्ररुप–2(अ)
{(नियम–4(8) देखिये)}

अनुज्ञापत्रधारी/एण्ड यूज प्लांट द्वारा रायल्टी पेड अभिवहन पास प्राप्त करने हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम एवं पदनाम (कंपनी या फर्म के मामलें में) .....
2. खनिज संरक्षण एवं विकास विनियम, 2017 के नियम 45 के तहत पंजीयन संख्या (यदि लागू हो) .....
3. खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों का नाम एवं उपलब्ध मात्रा (मैट्रिक टन/घन मीटर में) .....
4. खनिज प्राप्ति का प्रकार (सड़क मार्ग/रेलमार्ग/अन्य) .....
5. खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों का प्राप्ति की अभिवहन पास/रेलवे रिसिप्ट की जानकारी (सूची संलग्न करें) .....
6. खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों की प्राप्ति की अवधि .....
7. खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों के प्राप्ति के स्त्रोतः– .....

   (1) खनिपट्टा (कैप्टीव/नान–केप्टीव)/उत्खनिपट्टा/अनुज्ञापत्र का नाम .....

   (2)जिला/अनुभाग/तहसील/पुलिस स्टेशन/ग्राम

8. परिवहन किये जाने वाले खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों के नाम एवं मात्रा .....
9. आवेदक द्वारा खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों का परिवहन हेतु चाही गयी अनुमानित अवधि .....
10. अभिवहन पास बुक का मुल्य राशि.....चालान क्र .....दिनांक.....

संलग्न : तालिका के कंडिका क्रमांक 5 एवं 10 के अनुसार

स्थान
दिनांक

सील/हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
या कंपनी/फर्म के सक्षम प्राधिकारी

10. प्ररुप–7 में, खण्ड 5 में, उप–खण्ड (11) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(12) अनुज्ञापत्र स्वीकृति आदेश के दिनांक से नब्बे दिवस के भीतर, प्ररुप–21 में अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन किया जायेगा।"

11. प्ररुप–20 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''प्ररूप–21

{(नियम 10(4)(एक) देखिये)}

अस्थायी भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग के लिए अनुबंध विलेख

यह करार दिनांक..... .....दिन सन् 20.....को राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्य (जो इसमें इसके पश्चात् शासन के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे) प्रथम पक्षकार

और

दूसरे पक्षकार

जहॉ अनुज्ञप्तिधारी एक व्यक्ति हो

.....(व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित) (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापत्रधारी के रूप में निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधिगण तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

जहॉ अनुज्ञप्तिधारी एक से अधिक व्यक्ति हो

.....

.....(व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित) तथा.....

.....(व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवसाय सहित) (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापत्रधारी के रूप मे निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधिगण तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

जहॉ अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्ट्रीकृत फर्म हो

.....

.....(भागीदारों के नाम तथा पते) तथा.....

.....(भागीदारों के नाम तथा पते) तथा .....

(भागीदारों के नाम तथा पते) जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत (फर्म का नाम).....

.....के नाम तथा कार्यशैली के अन्तर्गत भागीदारी में व्यवसाय करते हैं तथा जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय .....नगर.....में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापत्रधारी के रूप मे निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

जहां अनुज्ञप्तिधारी एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी हो

.....(जिस अधिनियम के अधीन निगमित हो) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी.....

.....(कंपनी का नाम) और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....

.....(पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापत्रधारी के रूप मे निर्दिष्ट है जहॉ अभिव्यक्तियॉ संदर्भ के अनुकूल है वहां उसके उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जायेंगे)

के बीच आज तारीख ..... को किया गया।

यतः, अनुज्ञापत्रधारी ने, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है) के अनुसार अनुसूची–''एक'' में विनिर्दिष्ट ..... भूमि जो कि इससे संलग्न प्लान में लिखित तथा चित्रित है, में ..... (खनिज का नाम) के लिए अनुज्ञापत्र हेतु राज्य शासन को आवदेन किया है और राज्य शासन के साथ ऐसी अनुज्ञप्ति की विहित प्रतिभूति के रूप में रूपये .....की राशि जमा की है।

अब इसे साक्ष्य के रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत करते है :–

भाग–एक

अनुज्ञापत्र की शर्तें

इसमें इसके पश्चात् आरक्षित तथा अन्तर्विष्ट शुल्क, प्रसंविदा तथा करार के प्रतिफल में तथा अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष पर भुगतान किये जाने, क्रियान्वयन तथा निष्पादन किये जाने हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है तथा अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्ण अधिकार तथा अनुज्ञप्ति अन्तरित करता है।

1. अनुज्ञप्तिधारी अनुबंधित खनिज के अलावा किसी भी खनिज का भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग अनुज्ञप्ति स्थल पर नहीं करेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी अनुबंधित खनिज की मात्रा से अधिक का भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग स्थल पर नहीं करेगा, यदि वह अधिक मात्रा में खनिज का भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग हेतु करना चाहता है तो उसे नियम 6 (3) (दो) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी भण्डारित किये जाने वाले खनिज को वैध स्त्रोत से ही प्राप्त करेगा। कोयला एवं आयरन ओर खनिजों के मामलों में ई–आक्सन एवं डी.ओ. पत्र की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करायेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप–1 मे दिये गये अभिवहन पास की मूल प्रतियां जमा कर रायल्टी पेड परिवहन पास पुस्तिका प्ररूप–10, की कीमत जमा कर प्राप्त करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी, वाहन चालक को अभिवहन पास प्ररूप–10 की मूल प्रति के नीचे कार्बन लगाकर लिखी गई द्वितीय प्रति जारी करेगा तथा मूल प्रति पुस्तिका मे अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

6. खनिज परिवहन किये जा रहे वाहन को परिवहन के दौरान किसी भी स्थान पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रोके जाने पर वाहन चालक अभिवहन पास को सत्यापन (निरीक्षण) हेतु उपलब्ध करायेगा तथा निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग करेगा ।

7. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को –

(क) स्टाकयार्ड पर खनिज प्रसंस्करण इकाई, यदि कोई हो, के भवन, कार्यालय या किसी संबंधित परिसर में प्रवेश तथा निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ख) भण्डारण स्थल पर रखे हुए खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादों के स्टाकयार्ड के सर्वेक्षण, तोलन माप या नापजोख करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी या उसका एजेन्ट सभी दस्तावेजों, पंजियो या अन्य सुसंगत अभिलेखो का निरीक्षण करने के लिए अथवा उनसे उद्धरण लेने या ऐसे दस्तावेजो, बुक, पंजी, या अभिलेख की प्रतियां तैयार करने के लिए अनुज्ञात करेगा;

(घ) किसी खनिज/खनिजों और/या उसके उत्पादको के नमूने एकत्र करेगा ।

8. अस्थायी भण्डारण स्थल को पक्के, तार फेंसिंग या ईट की दीवार से घेरा जाना होगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा की सभी आवश्यक व्यवस्था नियमानुसार करेगा।

10. वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 और जल प्रदूषण अधिनियम, 1986 के अधीन अनुमति प्राप्ति उपरांत अनुज्ञप्तिधारी नियमों का पालन करेगा।

11. कोयला का भण्डारण करने की स्थिति मे अनुज्ञप्तिधारी भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल पर सभी आवश्यक उपकरण की सुरक्षा तथा सभी आवश्यक व्यवस्था के लिए अग्निशामक यंत्र रखेगा।

12. शासन द्वारा समय–समय पर लगाये गये समस्त कर एवं अधिभार का भुगतान करेगा।

13. पर्यावरण प्रदुषण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति पत्र में निहित समस्त शर्तें एवं नियमों का पालन भण्डारण स्थल में करना आवश्यक होगा।

14. इस नियम के नियम 14 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप–15 में भण्डारण तथा प्रसंस्करण से संबंधित मासिक विवरणी आगामी माह की 5 तारीख तक जिला खनि कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना होगा।

15. जल एवं वायु सम्मति में दर्शित मात्रा या अनुज्ञापत्र स्वीकृति आदेश में भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग हेतु स्वीकृत खनिज मात्रा में से जो भी कम हो, का ही अनुज्ञापत्रधारी के द्वारा भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग किया जायेगा।

16. छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के कोई भी नियम या इस अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन या किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर 15 दिवस की लिखित सूचना देते हुए अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

17. अनुज्ञापत्रधारी के द्वारा पेयजल को छोड़कर, बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के भू–जल का दोहन अनुज्ञापत्र क्षेत्र से नही किया जावेगा।

18. अनुज्ञापत्रधारी को प्रतिमाह खनिज की प्राप्ति एवं विक्रय स्त्रोतो की जानकारी माहवार गोसवारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाकर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को प्रस्तुत किया जाना होगा।

19. अनुज्ञापत्रधारी को स्वीकृत अनुज्ञापत्र के संबंध में समस्त प्राथमिक जानकारी यथा अनुज्ञापत्रधारी फर्म/व्यक्ति का नाम, अनुज्ञापत्र स्वीकृत क्षेत्र का विवरण, खनिज का नाम एवं मात्रा की जानकारी, अनुज्ञापत्र की अवधि आदि से संबंधित जानकारी सूचना पटल में अनुज्ञापत्र क्षेत्र के सम्मुख प्रदर्शित करना होगा।

20. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रशिंग संबंधी समस्त कार्य स्वीकृत अनुज्ञापत्र क्षेत्र के भीतर ही करना होगा। शासकीय भूमि या सड़क मार्ग को अवरूद्ध करते हुये यदि भण्डारण संबंधी कार्य किया जाना पाया जाने पर इस अनुबंध के भाग–1 के पैरा 16 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।

21. अनुज्ञापत्र क्षेत्र से परिवहन किये जाने वाले खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों को तिरपाल आदि से ढ़ककर, वाहनों के भार क्षमता के अनुरूप ही परिवहन किया जाना होगा।

22. मुख्य खनिजों के अनुज्ञापत्र क्षेत्र से वाहनों के माध्यम से खनिज/खनिजों या/उसके उत्पादों परिवहन के दौरान अभिवहन पास के साथ–साथ परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा का तौल पर्ची भी रखा जाना अनिवार्य होगा।

23. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त ख़निज साधन विभाग मंत्रालय रायपुर, संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छ.ग. रायपुर एवं कलेक्टर, द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

भाग–दो

अनुज्ञापत्रधारी की प्रसंविदाएँ

यह एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त सहमति हुई है :–

(1) अनुज्ञापत्र का अंतरणः–

अनुज्ञापत्रधारी, स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना–

(क) अनुज्ञापत्र या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित को समनुदेशित नहीं करेगा/करेंगे, उप–अनुज्ञापत्र पर नहीं देगा/देंगे, बंधक नहीं करेगा/करेंगे या किसी भी रीति से अंतरित नहीं करेगा/करेंगे, या

(ख) ऐसा कोई ठहराव, संविदा या समझौता नहीं करेगा/करेंगे जिसके द्वारा अनुज्ञापत्रधारी का सारवान सीमा तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से वित्त पोषण होगा जिसके द्वारा या जिसके अधीन अनुज्ञापत्रधारी की संक्रियाएं या कारबार सारवान रूप से अनुज्ञापत्रधारी से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की निकाय द्वारा नियंत्रित की जायं.

(ग) स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय अनुज्ञापत्र को पर्यवसित कर सकेगा यदि उसकी राय में अनुज्ञापत्रधारी ने ऊपर दिये गये उपबंधों से किसी भी उपबंध का भंग किया है या नियम 13(क) में दिये गये अनुसार के सिवाय अनुज्ञापत्र या उसमें के किसी अधिकार, हक या हित का अंतरण किया है परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश अनुज्ञापत्रधारी को उसका/उनका कथन करने का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा.

(2) प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व से सक्षम प्राधिकारी की उन्मुक्ति :–

यदि किसी घटना में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों को छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के नियम 15 के अधीन कार्यवाही के अनुसरण में संचालक अथवा राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित, पुनर्विलोकित या रद्द कर दिया जाता है तो अनुज्ञापत्रधारी इन विलेखों द्वारा उसको/उनको प्रदत्त शक्तियों एवं विशेषाधिकारियों के प्रयोग में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा सहन की गयी किसी हानि के लिए प्रतिकर के हकदार नहीं होगा/होंगे।

(3) दुघर्टना की रिपोर्टः–

अनुज्ञापत्रधारी किसी दुघर्टना जो इस अनुज्ञापत्र के अधीन संक्रियाओं के उपक्रम में घटित हो सकती है जिसके कारण मृत्यु, शारीरिक गभीर क्षति या सम्पत्ति को गंभीर क्षति या गभीर रूप से प्रभावित करने वाली या खतरा पहुँचाने वाली क्षति हुई हो, की रिपार्ट 24 घंटे के भीतर, संचालक,भौमिकी तथा खनिकर्म, सबंधित जिले के कलेक्टर को भजेगा।

भाग–तीन
शासन की प्रसंविदाएँ

यह एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में सहमति हुई है :–

(1) अनुज्ञापत्र पर्यवसित करने की स्वतंत्रता.–

अनुज्ञापत्रधारी स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को कम से कम तीन कैलेण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर इस अनुज्ञापत्र को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा/कर सकेंगे और ऐसी सूचना का अवसान होने पर, यदि अनुज्ञापत्रधारी ऐसा अवसान होने पर समस्त देय राशि, नुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा/देंगे और उसका भुगतान करेगा/करेंगे जो कि उस समय शोध्य हो तथा इस विलेख के अधीनस्थ अनुज्ञापत्रकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों को देय है और इस विलेख को राज्य शासन को परिदत्त करेगा, तब यह अनुज्ञापत्र तथा उक्त अवधि और एतद्द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार अत्यंतिक रूप से समाप्त हो जायेंगे तथा

पर्यवसित हो जाएंगे किन्तु वे, इस विलेख में अंतर्विष्ट किन्हीं प्रसंविदाओं या करार के किसी भंग के संबंध में अनुज्ञापत्रकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे.

(2) शर्तों के भंग करने की दशा में अनुज्ञापत्र का निरसन और जमा प्रतिभूति राशि का समपहरणः–

अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके अन्तरिती या उसके समनुदेशिती द्वारा अनुज्ञापत्र की किसी शर्त के किसी उल्लंघन किये जाने की दशा में, राज्य शासन अनुज्ञापत्रधारी को उसको/उनको अपना पक्ष अभिकथन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा और जहॉ उसका यह समाधान हो जाता है कि उल्लंघन ऐसा है जिसे कि दूर करने का उपाय नहीं किया जा सकता, अनुज्ञापत्रधारी या उसके अन्तरिती या समनुदेशिती को पन्द्रह दिनों की सूचना देकर अनुज्ञप्ति समय–पूर्व समाप्त कर देगा और उक्त जमा राशि रूपये ..... समस्त या कुछ भाग जो उस बारे में प्रसंविदाओं के अधीन जमा की गई जैसी कि सक्षम अधिकारी उचित समझे, जब्त करेगा। उस दशा में, जबकि सक्षम अधिकारी उल्लंघन को सुधार योग्य प्रकृति का होना मानता है, तो वह, यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या उसके अन्तरिती को सूचना देते हुए उससे/उनसे अपेक्षा करेगा कि वह/वे सूचना की प्राप्ति के दिनाकं से पन्द्रह दिनों के भीतर उल्लंघन का सुधार और उसे यह सूचित करते हुए कि यदि ऐसा सुधार ऐसी अवधि के भीतर नहीं किया गया तो प्रस्तावित शास्ति लगा दी जाएगी। यदि विहित कालावधि के भीतर उल्लघंन का उपचार नहीं किया जाता है तो प्रतिभूति राशि के समपरण सहित अनुज्ञप्ति रद्द हो जायेगी।

(3) प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय.–

इस अनुज्ञापत्र या उसके किसी नवीनीकरण का पर्यावसान होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे कलेक्टर चयन करें, इस अनुज्ञापत्र के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का, जो राज्य शासन के पास जमा है और जिसका उपयोजन इस अनुज्ञापत्र में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नहीं है, अनुज्ञापत्रधारी को प्रतिदाय कर दी जाएगी, प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।

भाग–चार
सामान्य अनुबंध

(1) समस्त दावों से शासन को मुक्त करनाः–

इस अनुज्ञापत्र द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करने के कारण हुई समस्त टूट–फूट अथवा क्षति अथवा अव्यवस्था के लिए समुचित समाधान करना तथा क्षतिपूर्ति करना जैसा कि तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार विधिक प्राधिकरण द्वारा आकंलित की जाए तथा राज्य शासन को एसे समस्त दावों से जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे टूट–फटू, क्षति अथवा अव्यवस्था के कारण किए जाएं तथा उस संबंध में जो मूल्य अथवा व्यय चुकाना पड़े उससे पूर्ण एवं समस्त रुप से मुक्त रखना ।

(2) अन्य बाध्यताएंः–

(क) अनुज्ञापत्रधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विहित न्यूनतम मजदूरी से अन्यून मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा/करेंगे;

(ख) अनुज्ञापत्रधारी, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(ग) अनुज्ञापत्रधारी, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(घ) अनुज्ञापत्रधारी, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करेगा/करेंगे;

(ड.) अनुज्ञापत्रधारी स्वयं के व्यय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, भूमि का पुनरूद्धार, प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का उपयोग जैसे उपाय और ऐसे अन्य उपाय करेगा/करेंगे जैसे कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित किये जाये;

(च) अनुज्ञापत्रधारी, नियमों में निर्धारित तारीख पर तथा रीति में भूमि के अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करेगा/करेंगे;

(छ) अनुज्ञापत्रधारी, नियोजन के विषय में, जनजातियों तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा/देंगे;

अनुसूची–एक
अनुज्ञापत्र द्वारा समाविष्ट भूमि, अवस्थिति एवं उसकी अवधि

(यहॉ भूमि के क्षेत्र, सीमायें, जिले का नाम, उप–जिला, थाना आदि एवं यदि कोई हो तो भूमि का सर्वे क्रमांक, स्थान एवं अवधि यदि भूमि का नक्शा संलग्न किया जाता है तो उसका उल्लेख, विवरण में अन्तर्विष्ट करिये।)

अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट भूमि का विवरणः–

1. खनिज (खनिजों)/उत्पादों का नाम जिसके लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जा रहा है: ....

2. भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रशिंग अनुज्ञापत्र की मैट्रिक टन में क्षमता (एक समय में): ....

3. अनुज्ञापत्र का अवस्थितिः–
   i. जिला ....
   ii. अनु–विभाग ....
   iii. तहसील ....
   iv. पुलिस स्टेशन ....
   v. पटवारी हल्का नं. ....
   vi. ग्राम का नाम ....

4. अनुज्ञापत्र में समाविष्ट भूमि का विवरणः–

स.क्र.	खसरा न.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
i.		
ii.		
iii.		
	कुल	

5. सीमा का विवरण –
   पूर्व ....
   पश्चिम ....
   उत्तर ....
   दक्षिण ....

6. भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि तारीख ....से ....तक .... वर्ष।

जिसके साक्ष्य में यह विलेख प्रथमतः ऊपर लिखित तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

....

(अनुज्ञप्तिधारी)

(हस्ताक्षर एवं पदनाम तारीख सहित)

....
राज्यपाल (अनुज्ञापत्रकर्ता) के लिए तथा
उनकी ओर से हस्ताक्षारित
तारीख सहित

साक्षी :–

(1) हस्ताक्षर ....
   नाम ....
   पिता का नाम ....
   पता ....

(2) हस्ताक्षर ....
   नाम ....
   पिता का नाम ....
   पता ....

प्ररूप–22

(नियम 13क(2) देखिए)

अनुज्ञा पत्र के अंतरण के लिये अनुबंध विलेख प्ररूप

जब अंतरक एक व्यक्ति है ..... यह विलेख एक पक्षकार के रूप .....में दिनांक.....20.....के बीच (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जो इसमें पश्चात् ''अंतरक'' के रूप में निर्दिष्ट है) जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे);

अथवा

जब अंतरक एक सोसाइटी/सहयोजन है ..... (सोसाइटी/सहयोजन का नाम, पता और व्यवसाय) और ..... (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जो इसमें पश्चात् ''अंतरक'' के रूप में निर्दिष्ट है) जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो इसके अंतर्गत क्रमशः उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे);

अथवा

जब अंतरक एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है ..... (सभी भागीदारों का नाम और पता सहित) जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक फर्म है और जो .... (एक फर्म का नाम) नाम तथा अभिधान के अधीन भागीदारी में कारबार चला रही है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....में है (जो इसमें इसके पश्चात् ''अन्तरक'' के रूप में निर्दिष्ट है) जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत क्रमशः उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे)

अथवा

और जब अंतरक रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है ..... (कंपनी का नाम) जो .... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... (पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् ''अन्तरक'' के रूप में निर्दिष्ट है) जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत क्रमशः उसके उत्तराधिकारी निष्पादक प्रशासक प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे)

और

जब अंतरिती एक व्यक्ति है ..... (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (जो इसमें पश्चात् ''अंतरिती'' के रूप में निर्दिष्ट है) जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे)

अथवा

जब अंतरिती एक सोसाइटी/सहयोजन है ..... (सोसाइटी/सहयोजन का नाम, पता और व्यवसाय) और ..... (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जो इसमें इसके पश्चात् ''अंतरिती'' कहा गया है) जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उसके क्रमशः उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उसके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे).

अथवा

जब अंतरिती रजिस्ट्रीकृत एक फर्म है .....(सभी भागीदारों का नाम और पता सहित) जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक फर्म है (जो फर्म का नाम) ....तथा अभिधान के अधीन भागीदारी में कारबार चला रही है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय .....में है (जो इसमें इसके पश्चात् ''अंतरिती'' के रूप में निर्दिष्ट है) जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उसके क्रमशः उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे)

अथवा

और जब अंतरिती रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है ..... (कंपनी का नाम) जो .... (अधिनियम जिसके अधीन निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... (पता) में है (जो इसमें इसके पश्चात् ''अंतरिती'' के रूप में निर्दिष्ट है) जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत क्रमशः उसके उत्तराधिकारी निष्पादक प्रशासक प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे)

और

तृतीय पक्षकार के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल (जो इसमें इसके पश्चात् ''राज्य शासन'' के रूप में निर्दिष्ट है) (जहां अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल हो, वहां इसके अन्तर्गत क्रमशः उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित समझे जाएंगे) के बीच आज तारीख .....माह ..... . सन् ..... को किया गया.

यतः तारीख ..... के अनुज्ञा पत्र विलेख के आधार पर, जो ..... (स्थान) के उप–रजिस्ट्रार कार्यालयों में तारीख ..... को संख्या ..... के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है (जो इसमें इसके

पश्चात् "अनुज्ञा पत्र" के रूप में निर्दिष्ट है और जिसकी मूल प्रति को, उस पर "क" चिन्हांकित कर इसके साथ संलग्न किया गया है, जो राज्य शासन (जो इसमें इसके पश्चात "अनुज्ञा पत्र" के रूप में निर्दिष्ट है) और अन्तरक जो इसमें इसके पश्चात "अनुज्ञापत्रधारी" के रूप में निर्दिष्ट है के बीच किया गया है, अन्तरक उससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमियों में वर्णित उस अवधि के लिए तथा उन देय राशि का भुगतान करने पर अनुज्ञापत्रधारी की प्रसंविदा और शर्तों का, जो उक्त अनुज्ञा पत्र विलेख में आरक्षित और अन्तर्विष्ट है, पालन और अनुपालन करने पर ..... (खनिज/खनिजों का नाम) के भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रशिंग से भिन्न कोई कार्य नही करेगा।

और यतः अन्तरक अब अन्तरिती को अनुज्ञा पत्र का अन्तरण और समनुदेशन करना चाहता है और सक्षम प्राधिकारी के अन्तरक की प्रार्थना पर आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... अन्तरक को अनुज्ञा पत्र का ऐसा अन्तरण और समनुदेशन इस शर्त पर करने की अनुज्ञा दे दी है, कि अन्तरिती शेष अवधि के लिए एक ऐसा करार करेगा जिसमें इसके पश्चात् वर्णित निबंधन और शर्ते होंगी ।

अब यह विलेख निम्नानुसार इस बात का साक्षी है कि:

1. अन्तरिती एतद्द्वारा राज्य शासन से प्रसंविदा करता है कि अनुज्ञा पत्र के अंतरण और समनुदेशन से और उसके बाद, अन्तरिती इसमें इसके पूर्व कथित किए गए अनुज्ञा पत्रों में अन्तर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के सभी उपबंधों का सभी प्रकार से पालन और अनुपालन करने के लिए और उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उसी प्रकार से आबद्ध और दायी होगा मानो कि वह अनुज्ञा पत्र अन्तरिती को अनुज्ञापत्रधारी के रूप में इस प्रकार प्रदान किया गया था और उसने उसे मूल रूप में निष्पादित किया है।

2. एक पक्षकार के रूप में अन्तरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अंतरिती के बीच एतदद्वारा यह और करार किया जाता है और उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि –

(एक) अन्तरक और अन्तरिती यह घोषणा करते है कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जिस क्षेत्र के लिए अनुज्ञा पत्र अन्तरित किया जा रहा है उस पर खनिज संबंधी अधिकार राज्य शासन में निहित है.

(दो) अन्तरक एतदद्वारा, यह घोषणा करता है कि उसने अनुज्ञा पत्र का, जो अब अन्तरित किया जा रहा है, समनुदेशन नहीं किया है, उप–अनुज्ञा पत्र पर नहीं दिया है, बंधक नहीं किया है या किसी अन्य रीति में अन्तरित नहीं किया है और कि अन्तरित किये जा रहे वर्तमान अनुज्ञा पत्र में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अधिकार, हक या हित नहीं है.

(तीन) अन्तरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसा कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है, जिसके द्वारा उसका पर्याप्त वित्त पोषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारवान सीमा तक किया गया था या किया जा रहा है और या जिसके द्वारा या जिसके अधीन अन्तरक की संक्रिया या समझौते का सारभूत रूप में नियंत्रण, अन्तरक से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा किया जा रहा था या किया जा रहा है.

(चार) अन्तरिती, एतद्द्वारा, यह घोषणा करता है कि उसने वे सभी शर्तें और दायित्व स्वीकार कर लिये है, जो ऐसे अनुज्ञा पत्र के संबंध में अन्तरक के पास थे.

(पांच) अन्तरिती, एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता/करती है कि अनुज्ञा पत्र संबंधी संक्रियायें करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है और उसे स्वयं करेगा.

(छ) अंतरक ने, इस अनुज्ञा पत्र के संबंध में, आज दिनांक तक शासन को सभी शोध्यो का भुगतान कर दिया हैं.

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम लिखे दिनांक को इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं.

अनुसूची–एक

अनुज्ञापत्र द्वारा समाविष्ट भूमि, अवस्थिति एवं उसकी अवधि

(यहॉ भूमि के क्षेत्र, सीमायें, जिले का नाम, उप–जिला, थाना आदि एवं यदि कोई हो तो भूमि का सर्वे क्रमांक, स्थान एवं अवधि यदि भूमि का नक्शा संलग्न किया जाता है तो उसका उल्लेख, विवरण में अन्तर्विष्ट करिये।)

अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट भूमि का विवरणः–

1. खनिज (खनिजों)/उत्पादों का नाम जिसके लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जा रहा हैः .....

2. भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रशिंग अनुज्ञापत्र की मैट्रिक टन में क्षमता (एक समय में): .....

3. अनुज्ञापत्र का अवस्थितिः–

i. जिला .....

ii. अनु–विभाग .....
iii. तहसील .....
iv. पुलिस स्टेशन .....
v. पटवारी हल्का न. .....
vi. ग्राम का नाम .....

4. अनुज्ञापत्र में समविष्ट भूमि का विवरणरू.

स.क्र.	खसरा न.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
i.		
ii.		
iii.		
	कुल	

5. सीमा का विवरण –

पूर्व .....
पश्चिम .....
उत्तर .....
दक्षिण .....

6. भण्डारण अनुज्ञप्ति की अवधि तारीख .....से .....तक ..... वर्ष।

जिसके साक्ष्य में यह विलेख प्रथमतः ऊपर लिखित तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में निष्पादित किया गया है।

.....

(अनुज्ञप्तिधारी (अन्तरक))

(हस्ताक्षर एवं पदनाम तारीख सहित)

.....

(अन्तरिती)

(हस्ताक्षर एवं पदनाम तारीख सहित)

.....

राज्यपाल (अनुज्ञापत्रकर्ता) के लिए तथा
उनकी ओर से हस्ताक्षारित तारीख सहित

साक्षी :–

(1) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

(2) हस्ताक्षर.....
नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पता.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक एफ 7–9/2003/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7–9/2003/12, दिनांक 03–06–2020, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

Atal Nagar, the 3rd June 2020

NOTIFICATION

No. F 7-9/2003/12.— In exercise of the powers conferred by Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. **In rule 4, after sub-rule 7, the following shall be added, namely:-**

"(8) The permit holder shall submit an application for royalty paid transit pass (Form-10) to sale/transport mineral/minerals or/ its products obtain through Storage/Beneficiation/Crushing of the minerals in Form- 2(A):

Provided that the Sanctioning Authority, may give permission to End Use Plant who has not obtain permit under these rules, on submission of an application with a fee of Rs. 5000/-, as per Rule 7(3)(iii) in Form-2(A) to obtain royalty paid transit pass (Form-10) for Sale/Transportation of rejected/fines elsewhere, generated due to beneficiation/use of minerals received from non-captive mines."

2. **In rule 7, in sub-rule (3), after clause (ii), the following shall be added, namely:-**

"(iii) Application Fees shall be deposited in the Government Treasury under the Revenue Receipt Head as follows:-

Major Head 0853–Non-ferrous Mining and Metallurgical Industry

Minor Head (800)–Other receipts

(0229)–Miscellaneous Receipts

The original Challan Receipt shall be attached with the application."

3. **After rule 7, the following shall be added, namely:-**

"7A. Permit to be executed within ninety days:-

"(1) Where a license is granted or renewed, the deed in Form–21 shall be executed within a period of 90 days of the sanction order of permit and registered a deed as per Indian Registration Act, 1908 (No.16 of 1908),. If such deed is not executed within the aforesaid period, the sanction order of the permit shall be deemed revoked and the application fee paid shall be forfeited to the State Government:

Provided that sanctioned permit before taking effect of these modifications to be executed and registered in Form-21 under Rule-7 for the remaining period of permit, within six month.

(2) Where, the permit holder is unable to execute the permit deed within stipulated time, may submit an application to the Director before expiry of the aforementioned period with citing reasons.

(3) Application under sub-rule (2) of this sub-rule, shall be accompanied with a non-refundable fee of rupees five hundred.

(4) The Director, on being satisfied with the adequacy and genuity of reasons for the non-execution of the deed may pass an order for extension of the period of execution of deed on receiving the application under sub-rule (2)."

4. For rule 12, the following shall be substituted, namely:-

"12. The maximum period for the grant/renewal of a permit shall not less than ten years."

Provide that In case of minor mineral(ordinary sand), the sanctioned authority, with reasons recorded in writing, may trant permit for less than ten years."

5. After rule 13, the following shall be added, namely:-

"13A. Transfer of Permit. –

(1) No Permit-holder shall be transfer Permit to anyone else without prior approval of Sanctioning Authority:

Provided that with payment of rupees one lakh as prescribed in clause (iii) of sub-rule (3) of rule 7, the Sanctioning Authority may permit to the Permit-holder for the transfer.

(2) The transferee of permit shall duly execute permit deed in Form–22 within 90 days from the date of transfer of permit and duly registered as per Indian Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908). In the event of failing to do so within the aforesaid period, the transfer order of permit shall be deemed revoked and the application fee paid shall be forfeited to the State Government.

(3) Where the transferee is unable to execute the deed within stipulated time, may submit an application to the Director before expiry of the aforementioned period with citing reasons.

(4) An application under sub-rule (3), shall be accompanied with a non-refundable fee of rupees five hundred.

(5) The Director, on being satisfied with the adequacy and genuinely of reasons for the non-execution of the deed may pass an order for extension of the period of execution of deed on receiving the application under sub-rule (3) of this rule.

(6) Security Deposit will be made by the transferee as per rule 11:

Provided that after deposition of security by the transferee, security deposit made earlier, may refund to the transferor:

Provided further that only security deposit shall be refunded at any conditions laid down."

13B. Right to determine Permit.–

(1) The permit holder may determine the permit at any time by submitting an application to the sanctioning authority after paying all outstanding dues to the Government.

(2) The sanctioning authority, if satisfied with the due compliance of the conditions of permit and after paying all dues to the Government, may proceed to termination of permit."

6. In rule 14,-

(a) in clause (ii-a), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(b) after clause (ii-a), the following shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of permit holder fails to submit the monthly returns within the prescribed time, a penalty of five hundred rupees per month or part thereof, shall be imposed till the said return in prescribed form is produced."

7. In rule 14, after clause (ix), the following shall be added, namely:-

"(x) Unless specifically exempted by the State government the permit holder of major minerals shall install weighing machine at the permit site and keep records of exported and converted minerals or its products.

(xi) Subject to the provision under these rules, where Storage /Beneficiation/Crushing operations have not commenced within a period of one year from the date of execution of the permit deed or discontinued for a cumulative period of twelve months after commencement of such operation, the Sanctioning Authority may, by an order, declare the permit as lapsed and communicate the declaration to the permit holder.

(xii) Where the permit holder is unable to commence Storage/ Beneficiation/Crushing operation for a period exceeding one year or unable to continue Storage/Beneficiation/Crushing for a cumulative period of twelve months during any calendar year after commencement of such operation for reasons beyond his control, he may submit an application to Sanctioning Authority explaining the reasons at least ninety days before the expiry of such period.

(xiii) There shall be paid, in respect of every application under sub-rule (12), a non-refundable fee of rupees five thousand, deposited in the Government treasury under the receipt head prescribed in Sub-rule (3) (iii) of Rule 7.

(xiv) The Sanctioning Authority of the permit shall, on receipt of an application made under sub-rule (12) and on being satisfied about the adequacy and genuineness of the reason for the non-commencement of Storage/ Beneficiation/Crushing operations or discontinuance thereof, pass an order before the date on which the permit would have otherwise lapsed, extended or refusing to extend the period of the permit:

Provided that where the Sanctioning Authority on receipt of application under sub-rule (12), does not pass any order before the expiry of the date on which the permit would have otherwise lapsed, the permit shall be deemed to have been extended until the order is passed by the concerned authority or for a period of one year, whichever is earlier.

(xv) Where non-commencement of the Storage/Beneficiation/ Crushing operation is on account of delay in,-

(i) Acquisition of surface rights, or

(ii) Getting the possession of the permit area, or

(iii) Supply or installation of machinery, or

(iv) Getting Financial Assistance from banks or any financial institution,

and the permit holder is able to furnish documentary evidence supported by a duly sworn-in affidavit stating sufficient reasons for non-commencement of Storage/Beneficiation/Crushing operations, the sanctioning authority may revoke the declaration/ order through which the permit has lapsed.

(xvi) The permit holder shall have to display all relevant information of the permit on the notice board in front of permit site such details as name of permit holder firm/person, detail of sanctioned site, name of mineral, capacity, period of the permit etc."

8. In rule 17, for the words "Major Minerals", wherever they occur, the word "Mineral" shall be substituted.

9. After FORM-2, the following shall be inserted, namely:-

"FORM-2(A)

[See rule 4 (8)]

APPLICATION FOR ROYALTY PAID TRANSIT PASS BY THE PERMIT HOLDER/END USE PLANT

1.	Name of the applicant and designation (In case of company or firm)	.....
2.	Registration number under rule 45 of Mineral Conservation and development rule (If	

	applicable)	.....
3.	Name and quantity of available Mineral/Minerals or/ its products (in Metric Tonne/Cubic Meter)	.....
4.	Mode of minerals receipts (Road/Railway/Other)	.....
5.	Detail of Transit Passes/Railway Receipt by which Mineral/Minerals or/ its products are receipt (Annex copy and list)	.....
6.	Duration of Mineral/Minerals or/ its products receipt	.....
7.	Source of obtained mineral/minerals/ its produce:- (1) Name of Minining lease (captive/non-captive/ quarrying lease/ permit (2) District/Section/Tahsil/ Police Station/ Gram	.....
8.	Name and quantity of Mineral/Minerals or/ its products to be transported	.....
9.	Period within which the applicant desires to transport the Mineral/Minerals or/ its products	.....
10.	Cost of transit Pass Book Rs.....paid vide Challan No	.....dated.....

Enclosure: As per serial No. 5 and 10
Place
Dated

Seal/Signature
Name of the Applicant or
competent authority of
company/firm

10. In FORM-7, in clause 5, after sub-clause (11), the following shall be inserted, namely:-

"(12) Permit shall be executed in Form-21 within ninety days from the date of permit sanction order and shall be registered."

11. After FORM-20, the following shall be inserted, namely:-

FORM 21

[See rule 10 (4)(i)]

PERMIT DEED FOR TEMPORARY STORAGE/BENEFICATION/CRUSHING

THIS INDENTURE made on this day of 20.....between the Governor of the State of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Government which expression shall, where the context so admits be deemed to include his successors and assigns) of the one part

and

WHEN THE PERMIT HOLDER IS AN INDIVIDUAL

.....(Name of person with address & occupation) (hereinafter referred to as the 'Permit holder' which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs, executors, administrators, representatives, and permitted assigns)

WHEN THE PERMIT HOLDER ARE MORE THAN ONE INDIVIDUAL

(Name of person with address & occupation) and..... (Name of person with addresses & occupation) and..... (Name of person with addresses & occupation) (hereinafter referred to as the " Permit holder " which expression shall, where the context so admits be deemed to include their respective heirs, executors, administrators, representatives and permitted assignee).

WHEN THE PERMIT HOLDER IS A REGISTERED FIRM

.....(Name & address of partner) and.....(Name & address of partner) and .....(Name & address of partner) A11 carrying on business in partnership under the firm name and style of (Name of the Firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at.....in the town of.....(hereinafter referred to as the „the Permit holder " which expression shall, when the context so admits be deemed to include all the partners of the said firm, their respective heirs, executors, legal representative and permitted assignee).

WHEN THE PERMIT HOLDER IS A REGISTERED COMPANY

(Name of the Company) a Company registered under..... (Act under which incorporated) and having its registered office at..... (Address) (hereinafter referred to as the "the Permit holder " which expression shall, where the context so admits be deemed to include its successors and permitted assignee) of the other part.

This agreement is signed between both the parties on dated .....

WHEREAS the Permit holder has/have applied to the State Government in accordance with the Chhattisgarh Mineral (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules) for a licence to prospect of.....(Name of mineral) in the land specified in Schedule-I hereunder written and delineated in the plan herewith annexed (hereinafter referred to as the said lands) and has/have deposited with the State Government the sum of Rupees.....as prescribed security in respect of such Permit.

Now these presented witness as follows:

PART-1

CONDITIONS OF THE PERMIT

In consideration of the fees, covenants and agreements hereinafter reserved and contained and on the part of the Permit holder to be paid, observed and performed, the State Government, hereby, grant and demise into the Permit holder, the sole rights and the permit.

1. The permit holder shall not Storage/Beneficiation/Crushing any mineral other than the agreement mineral at the permit site.
2. The permit holder shall not Storage/Beneficiation/Crushing more than permitted quantity of the agreement at the site, if he want toStorage/Beneficiation/Crushing excess quantity, the permit holder has to get permission with paying additional fee as per Rule (6)(3)(ii).
3. The permit holder shall receive minerals to be Storage/Beneficiation/Crushing, only from a legitimate source. In caseof coal and iron ore received from the e-auction, a copy of the Delivery Order (DO) shall provide to the office.
4. The permit holder shall submit the original transit pass in Form-1 and will receive royalty paid transit pass in Form-10 after paying the price of the transit pass book.
5. The permit holder shall issue carbon copy of the transit pass to the vehicle driver in Form-10 and the original copy of the pass will be keep in the book for the official record.
6. During the transporting of mineral, an authorized officer may stop the mineral transporting vehicle at any place and verify (inspect), the vehicle driver will provide the transit pass for verification and will assist as required for inspection.
7. The permit holder shall allow any Authorized Officer to:-
   (i) Allow inter and inspect the permit site including miner processing unit of stock yard, if any, its building, office or any relevant premises;
   (ii) Allow for stock inspection, survey, weighment, measurement of the stock/ mineral /minerals and /or its products lying at any at the permit site;

(iii) Allow to examine any documents, books registers, or relevant record in the possession of the permit holder or his agent and to take extracts from or make copies of such documents, books, registers or record;

(iv) Allow to collect samples of any mineral/minerals and / or its products.

8. The fencing of permit site shall be done either through wire or brick wall.

9. The permit holder shall make necessary arrangement for first aid kit and safety as per rule.

10. The permit holder shall be follow all conditions under the Ait pollution Act 1981 and Water pollution Act 1986 after obtaining permissions.

11. In case of Storage/Beneficiation of coal, permit holder shall keep necessary equipment at the permit site for protection and make necessary arrangement for prevention of fire.

12. Shall pay all taxes and surcharges imposed by the government from time to time.

13. The permit holder shall have to follow all term and conditions imposed by the environment pollution conservation board under Air and Water consent.

14. The permit holder shall be mandate to submit monthly return in Form-15 under rule-14 of this Rule, till the date of 5th day of next month to the office of the district mining officer.

15. The permit holder shall not Storage/Beneficiation/Crushing excess quantity as shown in the Air & Water consent or Permit sanction order, whichever is less.

16. In case of breach of any terms and conditions of Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, or this agreement or any irregularity is found by permit holder, giving written notice of 15 days, the permit may be cancelled.

17. Permit holder shall not utilize groundwater other than the drinking purpose without permission from the competent authority in the permit site.

18. The Permit holder shall have to submit the monthly index of the source of receipt and sale of the mineral, in the prescribed format to the office of the Collector (mining section).

19. The permit holder shall have to display all relevant information of the permit on the notice board in front of permit site such details as name of permit holder firm/person, detail of sanctioned permit site, name of mineral and its capacity, period of the permit.

20. The permit holder shall carry out all its operation of Storage/Beneficiation/Crushing within permit site only. If any such operation found out of permit site at government land or road, the action can be taken as per Para 16 of Part-1 of this agreement.

21. The mineral/minerals/ or its product shall have to be transport accordance to the vehicle carrying capacity with tarpaulin covered from the permit site.

22. The mineral/minerals/ or its product of permit of major minerals shall have to be transport with valid mineral transit passes and weighment clip from the permit site.

23. The permit holder, in addition to the above conditions, shall be mandate to compliance orders and instructions issued from time to time by the Mineral Resource Department, Government of Chhattisgarh, Directorate of Geology and Mining and district administration.

PART-II

THE COVENANTS OF THE PERMIT HOLDER

It is hereby further agreed as follows:-

(1) Transfer of the Permit:-

The Permit holder shall not, without the previous consent in wrinting of the Senctioning Authority-

(a) Assign, sublet, mortgage, or in any other manner transfer the Permit, or any right title of interest therin, or

(b) Enter into or make any arrengement, contract or understanding whereby the Permit holder will or may be directly or indirectly financed to a substantial extent by, or under which the Permit holde's or undertaking will or may be substantially controlled by, any person or body of person other then the Permit holder.

(c) The Senctioning Authority may by an order in writing detemine the Permit at any time if the Permit holder has\have transfered Permit or any right, title or interest therein otherwise than in accordance with rule 13 (A), provided that no such order shall be made without giving the Permit holder a reasonable oppurchunity of stating his\their case.

(2) Immunity of Competent Authority from liability to pay compensation:-

If in any event the orders of the Competent Authority are revised or cancelled by the Director and State Government in pursuance of proceedings under Rule-15 of the Chhattisgarh Mineral (Mining, Basification and Storage) Rules, 2009, the Permit holder shall not be entitled to compensation for any loss sustained by the Permit holder in exercise of the powers and privileges conferred upon him/them by these presents.

(3) Report of accident:-

The permit holder shall within twenty-four hours send to the Director, Geology and Mining, Collector of concerned district a report of any accident causing death or serious bodily injury to property or seriously affecting or endangering life or property which may occur in the course of the operation under this permit.

PART-III

THE COVENANTS OF THE GOVERNMENT

It is hereby agreed as follows:-

(1) Liberty to determine the Permit:–

The Permit holder may at any time determine this Permit by giving not less than three calendar months' notice in writing to the Sanctioning Authority and upon the expiration of such notice provided that the Permit holder shall upon such expiration render and pay all dues, compensation for damages and other moneys which may then be due and payable under these presents to the Permitor or any other person or persons and shall deliver these presents to the State Government then this Permit and the said term and the liberties, powers and privileges hereby granted shall absolutely cease and determine but without prejudice to any right or remedy of the Permitor in respect of any breach of any of the covenants or agreements contained in these presents.

(2) Cancellation of the licence and forfeiture of the security deposit in case of breach of conditions:-

In the case of any breach of any condition of the permit by the Permit holder or his assignees, the competent authority shall give a reasonable opportunity to the Permit holder of stating him / their case and where it is satisfied that the breach is such as cannot be remedied, on giving fifteen days' notice to the Permit holder or his assignees, determine the permit and/ or forfeit the whole or any part of the said security deposit of rupees .....deposited under the covenant in that behalf as the Competent Authority may deem fit. In case the Competent Authority considers the breach to be of a remediable nature, it shall give notice to the Permit holder or his or assignees, as the case may be, requiring him / them to remedy the breach within fifteen days from the date of receipt of the notice informing him of the penalty proposed to be inflicted if such remedy is not made within such period. If the breach is not remedied within prescribed period the permit shall be cancelled with forfeiture of the security deposit.

(3) Refund of security deposits: –

On such date as the Collector may elect after the determination of this Permit or of any renewal thereof, the amount of the security deposit paid in respect of this Permit and then remaining in deposit with the State Government and not required to be applied to any of the

purposes mentioned in this Permit shall be refunded to the Permit holder. No interest shall run on the security deposit.

PART-IV

GENERAL PROVISIONS

(1) IndemnifyGovernment against all claims:-

To make reasonable satisfaction and pay such compensation as may be assessed by lawful authority in accordance with the law in force on the subject for all damage, injury, or disturbance which may be done by him in exercise of the powers granted by this licence and to indemnify and keep indemnified fully and completely the State Government against all claims which may be made by any person or persons in respect of any such damage, injury or disturbance and expenses in connection therewith.

(2) Other obligations:-

(a) The Permit holder shall pay a wage not less than the minimum wage prescribed by the Central Government or State Government from time to time under Minimum Wages Act, 1948.

(b) The Permit holder shall comply with provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the rules made there under;

I The Permit holder shall comply with provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the rules made there under;

(d) The Permit holder shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under;

(e) The Permit holder shall take measures for the protection of environment like planting of trees, reclamation of land, use of pollution control devices and such other measures as may be prescribed by the Collector or any other officer authorized for it, from time to time at his own expense.

(f) The Permit holder shall pay compensation to the occupier of the land on the date and in the manner laid down in the rules;

(g) The Permit holder shall in the matter of employment give preference to the tribe's and to the local persons;

SCHEDULE-I

THE LAND COVERED BY THE PERMIT, LOCATION AND ITS PERIOD

(Here insert the description of lands with area, boundaries, names of District, Sub-Division, Thana, etc. and cadastral survey numbers, location and period if any. In case a map is attached, refer the map in the description to be inserted.)

Description of the land covered by the licence:-

1. Name of mineral (minerals)/products for permit is granting: ----------

2. Permit capacity of Storage/ Beneficiation/Crushing in Metric Tonnes (at a time): ----------

3. Location of permit:-

i. District: ----------

ii. Sub-Division: ----------

iii. Tehsil: ----------

iv. Police Station: ----------

v. Patwari circle number: ----------

vi. Name of Village: ----------

4. Description of land:-

S.No.	Cadastral survey numbers	Area (in Hectare)
i.		
ii.		
iii.		
	Total	

5. Boundaries of land:-

East.....

West.....

North.....

South.....

6. Period of Storage permit from the date of.....to.....years.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

.....

(Permit holder)
(Signature and Designation with date)

.....

For and on behalf of the
Governor
(Permitor) with date

WITNESSES:-

(1) Signature.....

Name .....

S/o or D/o or W/o.....

Address.....

(2) Signature.....

Name .....

S/o or D/o or W/o.....

Address.....

FORM 22

[See Rule 13 (A)(2)]

DEED FORM FOR TRANSFER OF PERMIT

When the transferor is an individual.....The indenture made this .....day of ..... 20 ..... between (Name of the person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferor") (which expression shall where the context so admits be deemed to include his heirs executors, administrators, representatives and permitted assignees);

OR

When the transferor is a Society / Association (Name of the society / Association with address and occupation) and. (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferor") (which expression shall wire the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees);

OR

When the transferor is a registered firm..... (Name of the person with address of all the partners) all carrying on business in partnership under the firm name and style of .....(Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office ..... (hereinafter referred to as the "transferor") (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees).

OR

When the transferor is a registered company..... (Name of the company) a company registered under..... (Act, under which incorporated)and having their registered office at .....(address) (hereinafter referred to as the transferor) (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees).

AND

When the transferee is an individual..... (Name of the person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferee") (which expression shall were the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees);

OR

When the transferee is a Society / Association (Name of the society / Association with address and occupation) and. (Name of person with address and occupation) (hereinafter referred to as the "transferee") (which expression shall were the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees) ;

OR

When the transferee is a registered firm..... (Name of the person with address of all the partners) are carrying on business in partnership under the firm name and style of..... (Name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) and having their registered office at ..... (hereinafter referred to as the "transferee") (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees)

OR

When the transferee is a registered company..... (Name of the company) a company registered under..... (Act, under which incorporated)and having their registered office at (address) (hereinafter referred to as the "transferee") (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees)

AND

The Governor of Chhattisgarh hereinafter referred to as the "State Government" (which expression shall where the context so admits be deemed to be include their respective heirs, executors administration, representatives and their permitted assignees) of the third part.

Whereas by virtue of an indenture of permit dated the .....and registered as No.....On..... (date) in the office of the Sub-Registrar of..... (place) hereinafter referred to as permit the original whereof is attached hereto and marked "A" entered into between the State Government (hereinafter called the Permitor) and transferor (therein called the Permit holder), the transferor is entitled for not other than Storage/Beneficiation/Crushing in respect of .....(name of mineral) in the lands described in schedule thereto and also in schedule annexed hereto for the term and subject to the payment of the dues and observance and performance of the permit holder's covenant and condition is said deed

of Permit reserved and contained including a covenant not to assign the Permit or any interest there under without the previous sanction of the competed authority.

And whereas the transferor is now desirous of transferring and the Permit to the transferee and the Competent Authority has at the request of the transferor, granted permission to the transferor vide order No..... Dated..... to such a transfer and assignment of the Permit upon the condition of the transferee entering into an agreement for the remaining period and containing the terms and conditions hereafter setforth.

Now this deed witnessed as follows:

1. The transferee hereby covenants with the State Government that from and after the transfer and assignment of the Permit the transferee shall be bound by, and be liable to perform, observe and conform and be subject to all the provisions of all the covenants, stipulations and conditions contained in said herein before recited Permit in the same manner in all respect as if the Permit had been granted to the transferee as the permit holder's there under and he had originally executed it as such.

2. It is further hereby agreed and declared by the transferor of the one part and the transferee of the other part that

(i) The transferor and the transferee declare that they have ensured that the mineral rights over the area for which the permit is being transferred vest in the State Government.

(ii) The Transferor hereby declares that he/she has not assigned, subject; mortgaged or in any other manner transferred the permit now being transferred and that no other person or persons has any right; title or interest where under in the present permit being transferred.

(iii) The transferor further declares that he/she has not entered into or made any agreements, contract or understanding whereby he had been or is being directly or indirectly financed to a substantial extent by or under which the transferor's operation or understandings were or are being substantially controlled by any person or body of persons other than transferor.

(iv) The transferee hereby that he / she has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of such permit"

(v) The transferee further declares that he/ she is financially capable of and will directly undertake permit operations.

(vi) The transferor has paid all the dues towards Government till the date, in respect of this permit.

In witness whereof the parties hereto have signed on the date and year first above written.

SCHEDULE-1

THE LAND COVERED BY THE PERMIT, LOCATION AND ITS PERIOD

(Here insert the description of lands with area, boundaries, names of District, Sub-Division, Thana, etc. and cadastral survey numbers, location and period if any. In case a map is attached, refer the map in the description to be inserted.)

Description of the land covered by the licence:-

1. Name of mineral (minerals)/products for permit is granting: ----------

2. Permit capacity of Storage/ Beneficiation/Crushing in Metric Tonnes (at a time): ----------

3. Location of permit:-

i. District: ----------

ii. Sub-Division: ----------

iii. Tehsil: ----------

iv. Police Station: ----------

v. Patwari circle number: ----------

vi. Name of Village: ----------

4. Description of land:-

S.No.	Cadastral survey numbers	Area (in Hectare)
i.		
ii.		
iii.		
	Total	

5. Boundaries of land:-

East.....

West.....

North.....

South.....

6. Period of storage permit from the date of.....to.....years.

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed in the manner hereunder appearing the day and year first above written.

.....

(Permit holder (Transferor)
(Signature and Designation with date)

.....

.....

(Transferee)
(Signature and Designation with date)

For and on behalf of the
Governor (Permitor) with date

WITNESSES:-

(1) Signature.....

Name .....

S/o or D/o or W/o.....

Address.....

(2) Signature.....

Name .....

S/o or D/o or W/o.....

Address.....

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANBALAGAN P., Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.